

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 300/2019

दायर दिनांक 27.12.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. मो. हुसैन पुत्र अब्दुल गनी 2. मो. जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल गनी (वादी मो. हुसैन स्वयं एवं जरिये आम मुख्तयार मो. जाकिर हुसैन) 3. मो. अयुब पुत्र अब्दुल गनी 4. फातमा पत्नी अब्दुल गनी जातिगण देशवाली निवासीगण बालिया तहसील 1. डीडवाना जिला नागौर राज.।	1. जमालुदीन उर्फ जमाल उर्फ जमालु पुत्र कुडा चौधरी 2. याकुब पुत्र कुडा चौधरी 3. हाजरा पत्नी मो. हनीफ 4. मो. शरीफ पुत्र मो. हनीफ 5. मो. अशरफ पुत्र मो. हनीफ 6. अब्दुल लतीफ पुत्र मो. हनीफ 7. नसरीन पुत्री मो. हनीफ 8. नजमा पुत्री मो. हनीफ 8.ए यासमीन पुत्री मो. हनीफ 9. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल मजीद 10.मो. रफीक पुत्र अब्दुल मजीद 11.मो. अनवर पुत्र अब्दुल मजीद 12. जुवेदा बानो पुत्री अब्दुल मजीद 13. सलमा पुत्री अब्दुल मजीद 14. साबरा बानो पुत्री अब्दुल मजीद 15. मरियम पुत्री अब्दुल मजीद 16. नसीम पुत्री अब्दुल मजीद 17. ताहिरा बानो पुत्री अब्दुल मजीद 18. माश्या अल्लाह पत्नी अब्दुल मजीद 19. ताजर पुत्र अनारदीन 20. महफुल पुत्र अनारदीन 21. खलील पुत्र अनारदीन 22. रहमान पुत्र पीरा 23. उस्मान पुत्र पीरा 24. दीना पुत्र पीरा 25. कलाम पुत्र नाथू 26. अजीज पुत्र नाथू 27. अब्दुल रहमान पुत्र नाथू 28. जैनब पत्नी अब्दुल गफार 29. रूबीना पत्नी मो. मुन्शी निवासीगण बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 30. श्रीमान तहसीलदार महोदय, डीडवाना।
	बनाम्


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 300/2019
दायर दिनांक 27.12.2019, निर्णय दिनांक 19.03.2020
मो. हुसैन बनाम जमालुदीन, वगैरा।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादीगण।
2. श्री गनी मोहम्मद वकील प्रतिवादीगण 1 ता 3, 7, 8, 8ए, 9 ता 18, 22 ता 24 व 28।

-:: अंतिम निर्णय ::-


दिनांक 19.03.2020

सरहद बालिया के खेत खसरा नम्बर 1166/369 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं.516 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 539 रकबा 04 बिस्वा, ख.नं. 540 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 543 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 384 रकबा 01 बिस्वा ख.नं. 727 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 747 रकबा 10 बीघा, ख.नं. 756 रकबा 42 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 1000/540 रकबा 09 बिस्वा, ख.नं. 1152/346 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 346 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, ख.नं. 1154/351 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 351 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा व ख.नं. 385 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, ख.नं. 387 रकबा 02 बिस्वा, ख.नं. 388 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा व ख.नं. 630 रकबा 32 बीघा, ख.नं. 628 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 638 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, ख.नं. 643 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 700 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 246 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 616 रकबा 16 बीघा, खसरा सं0 632 रकबा 11 बीघा 43 बिस्वा सरहद जानकीपुरा के खसरा नम्बर 78 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 163 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 176 रकबा 19 बिस्वा, ख.नं. 60 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 62 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 61 रकबा 19 बिस्वा, भूमि का वादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 03.03.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 697 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 697 दिनांक 19.03.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा अंतिम डिक्री सादिर कर, सरहद बालिया के खेत खसरा नम्बर 1166/369 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं.516 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 539 रकबा 04 बिस्वा, ख.नं. 540 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 543 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 384 रकबा 01 बिस्वा ख.नं. 727 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 747 रकबा 10 बीघा, ख.नं. 756 रकबा 42 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 1000/540 रकबा 09 बिस्वा, ख.नं. 1152/346 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 346 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, ख.नं. 1154/351 रकबा


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 300/2019
 दायर दिनांक 27.12.2019, निर्णय दिनांक 19.03.2020
 मो. हुसैन बनाम जमालुदीन, वगैरा।

08 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 351 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा व ख.नं. 385 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, ख.नं. 387 रकबा 02 बिस्वा, ख.नं. 388 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा व ख.नं. 630 रकबा 32 बीघा, ख.नं. 628 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 638 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, ख.नं. 643 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 700 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 246 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं० 616 रकबा 16 बीघा, खसरा सं० 632 रकबा 11 बीघा 43 बिस्वा सरहद जानकीपुरा के खसरा नम्बर 78 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 163 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 176 रकबा 19 बिस्वा, ख.नं. 60 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 62 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 61 रकबा 19 बिस्वा, भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 697 दिनांक 19.03.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 7, 8, व 8ए द्वारा अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी 3 ता 6 के हक में तर्क कर दिया है। इसलिए प्रतिवादी सं० 3 ता 6 को हनीफ के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 7, 8, 8ए का नाम हटाया जाता है। एवं प्रतिवादी सं. 12 ता 17 द्वारा अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी सं० 09 ता 11 व 18 को स्व. मजीद के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 12 ता 17 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 697 दिनांक 19.03.2020, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो, डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)

महानिरीक्षक R.A.S. (सहायक कलक्टर डीडवाना)

अंतिम निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को सरे इजलास सुनाया

गया।

(अंशुल सिंह)

महानिरीक्षक R.A.S. (सहायक कलक्टर डीडवाना)


डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 300/2019

दायर दिनांक 27.12.2019

वादी	प्रतिवादी
1. मो. हुसैन पुत्र अब्दुल गनी 2. मो. जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल गनी (वादी मो. हुसैन स्वयं एवं जरिये आम मुख्त्यार मो. जाकिर हुसैन) 3. मो. अयुब पुत्र अब्दुल गनी 4. फातमा पत्नी अब्दुल गनी जातिगण देशवाली निवासीगण बालिया तहसील 1. डीडवाना जिला नागौर राज.।	1. जमालुदीन उर्फ जमाल उर्फ जमालु पुत्र कुडा चौधरी 2. याकुब पुत्र कुडा चौधरी 3. हाजरा पत्नी मो. हनीफ 4. मो. शरीफ पुत्र मो. हनीफ 5. मो. अशरफ पुत्र मो. हनीफ 6. अब्दुल लतीफ पुत्र मो. हनीफ 7. नसरिन पुत्री मो. हनीफ 8. नजमा पुत्री मो. हनीफ 8.ए यासमीन पुत्री मो. हनीफ 9. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल मजीद 10.मो. रफीक पुत्र अब्दुल मजीद 11.मो. अनवर पुत्र अब्दुल मजीद 12. जुबेदा बानो पुत्री अब्दुल मजीद 13. सलमा पुत्री अब्दुल मजीद 14. साबरा बानो पुत्री अब्दुल मजीद 15. मरियम पुत्री अब्दुल मजीद 16. नसीम पुत्री अब्दुल मजीद 17. ताहिरा बानो पुत्री अब्दुल मजीद 18. माश्या अल्लाह पत्नी अब्दुल मजीद 19. ताजर पुत्र अनारदीन 20. महफुल पुत्र अनारदीन 21. खलील पुत्र अनारदीन 22. रहमान पुत्र पीरा 23. उस्मान पुत्र पीरा 24. दीना पुत्र पीरा 25. कलाम पुत्र नाथू 26. अजीज पुत्र नाथू 27. अब्दुल रहमान पुत्र नाथू 28. जैनब पत्नी अब्दुल गफार 29. रूबीना पत्नी मो. मुन्शी निवासीगण बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 30. श्रीमान तहसीलदार महोदय, डीडवाना।

बनाम्


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 19.03.2020


यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी, सरहद बालिया के खेत खसरा नम्बर 1166/369 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं.516 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 539 रकबा 04 बिस्वा, ख.नं. 540 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 543 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 384 रकबा 01 बिस्वा ख.नं. 727 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 747 रकबा 10 बीघा, ख.नं. 756 रकबा 42 बीघा 12 बिस्वा, ख. नं. 1000/540 रकबा 09 बिस्वा, ख.नं. 1152/346 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 346 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, ख.नं. 1154/351 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 351 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा व ख.नं. 385 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, ख.नं. 387 रकबा 02 बिस्वा, ख.नं. 388 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा व ख.नं. 630 रकबा 32 बीघा, ख.नं. 628 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 638 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, ख.नं. 643 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 700 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 246 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं० 616 रकबा 16 बीघा, खसरा सं० 632 रकबा 11 बीघा 43 बिस्वा सरहद जानकीपुरा के खसरा नम्बर 78 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 163 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 176 रकबा 19 बिस्वा, ख.नं. 60 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, ख. नं. 62 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 61 रकबा 19 बिस्वा, का "बाईमिट्स एण्ड वाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 697 दिनांक 19.03.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 7, 8, व 8ए द्वारा अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी 3 ता 6 के हक में तर्क कर दिया है। इसलिए प्रतिवादी सं० 3 ता 6 को हनीफ के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 7, 8, 8ए का नाम हटाया जाता है। एवं प्रतिवादी सं. 12 ता 17 द्वारा अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी सं० 09 ता 11 व 18 को स्व. मजीद के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 12 ता 17 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 697 दिनांक 19.03.2020, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....


...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.03.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलेक्टर
(सहायक डी.डी.वातावर)

